# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 47/2023 अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. भंवराराम पुत्र सरदाराराम<br>2. अनोपाराम पुत्र भंवराराम<br>3. निम्बाराम पुत्र भंवराराम<br>4. सगताराम पुत्र भंवराराम<br>5. सांगाराम पुत्र भंवराराम<br>जाति कुम्हार, निवासी मणिहारी<br>तहसील शिव, जिला बाड़मेर | | 1. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव<br>2. जगदीश पुत्र खेताराम<br>3. तनाराम पुत्र खेताराम<br>4. पुरीदेवी पत्नी खेताराम<br>5. धर्माराम पुत्र मुकनाराम<br>6. नखताराम पुत्र मुकनाराम<br>7. राजाराम पुत्र मुकनाराम<br>8. खेताराम पुत्र कस्तुराराम<br>9. छगनाराम पुत्र कस्तुराराम<br>10. पुरखाराम पुत्र कस्तुराराम<br>11. रामाराम पुत्र कस्तुराराम<br>12. लालाराम पुत्र कस्तुराराम<br>13. मीरादेवी पत्नी कस्तुराराम<br>जाति कुम्हार, निवासी मणिहारी<br>तहसील शिव, जिला बाड़मेर |

उपस्थित :— अधिवक्ता प्रार्थीगण :— श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, शिव, जिला बाड़मेर)

## —:: आदेश ::—

दिनांक : 14.08.2024

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 2 से 13 की संयुक्त पैतृक खातेदारी के खेत मौजा मणिहारी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 586/377, 377, 585/377 रकबा क्रमशः 8.9193, 8.9840, 8.9840 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त विवादित आराजी में पक्षकारान् के रहवासी ढाणी व टांके आदि बने हुए है तथा पक्षकारान् काबिज काश्त है। पूर्व में उक्त सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी थी, जिसमें पक्षकारान् द्वारा आपसी सहमति से विधिवत बंटवारा करवाया गया है। उक्त समस्त आराजी मूल खसरा नम्बर 377 के विभाजित होने पर अमलदरामद की गई है। उक्त विभाजन का नक्शा कैम्प में ही तैयार किया होने तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा लट्ठा नक्शा में बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये गलत तरमीम कर दी गई, जिसे उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से पक्षकारान् का कब्जा काश्त एवं रहवासी ढाणियां प्रभावित हो रही है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे जब प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी खातेदारी की मौके पर कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में भारी भिन्नता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर विद्यमान कब्जा काश्त अनुसार एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। वर्तमान ऑनलाईन नक्शा, लट्ठा ट्रेस व विभाजन पत्र में अंकित तरमीम में समानता है परन्तु मौके पर कब्जा काश्त वर्तमान तरमीम

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

अनुसार नहीं होने से मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरस्त किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार होने पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। साथ ही मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित मौतबिरान् एवं प्रभावित खातेदारान् द्वारा तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मणिहारी, तहसील शिव में प्रार्थीगण की खातेदारी का खसरा नम्बर 586/377 रकबा 8.9193 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 2 से 7 के खसरा नम्बर 377 रकबा 8.9840 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 8 से 13 के खसरा नम्बर 585/377 रकबा 8.9840 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 14.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner